प्रेस नोट   दिनांक 22.07.2026

गोकशी से संबंधित 01 शतिर अभियुक्त पुलिस मुठभेंड में हुआ घायल/ गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद तमंचा 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01अदद खोखा कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 22.07.2026 को थाना कोपागंज पुलिस व स्वाट/एसओजी की सयुक्त टीम द्वारा मुखबीर की सुचाना पर मु0अ0स0 106/2026 धारा- 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम संबन्धित 15000/- का इनामिया वांछित अभियुक्त ढ़ेला पुत्र नसीर उम्र 35वर्ष निवासी चेला राम का पुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ कटवास से इंदारा रेलवे स्टेशन कि ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उसे रोकने का प्रयास किया गया व आत्मसमरपण करने के लिए कहा गया, लेकिन अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही मे आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई जिसे आरोपी घायल हो गया तथा आरोपी के दाहिने हाथ के पास से 01 अदद देशी तमंचा व 02 कारतूस बरामद कर आरोपी को इलाज हेतु अस्पताल पहुचाया गया।

पुछताछ में बताया अभियुक्त ने बताया कि साहब हमारा एक गैंग है जिसमे मैं और मेरे साथी है, हम सभी लोग मिलकर रात्री में गायों को घेरघार कर पकडकर रस्सियों से बांधकर सूनसान जगह पर ले जा कर उन्हें काट कर मांस को बोरियों में भरकर अच्छे दामों में बेच देते है ।जो भी रुपया मिलता है उसे बराबर आपस में बाट लेते है। गोकसी के ही मामले में मेरे कई साथी पकडे जा चुके है। मैं पकडे जाने की डर से आप लोगों के उपर गोली चला दिया।

कडाई से पूछने पर बताया की साहब 23.04.2026 को रात्रि में मदरसे के पास से मैं तथा मेरे साथी इरफान पुत्र छोटक, धड़कू पुत्र करामत, खालिक अहमद पुत्र रियासत अहमद, मन्ना पुत्र दीना, जाकिर पुत्र मुस्तफा समस्त निवासीगण चेला राम का पुरा (लाडनपुर) थाना कोपागंज जनपद मऊ ने मिलकर एक लाल रंग के गाय के बछड़े को घेर-घार कर पकड़ लिये और रस्सियों में बांध कर मेरे घर के पास बगीचे में ले गये, जहां बछड़े का चारों पैर व मुंह रस्सियों से कस कर बांध

दिये जिससे वह भाग न सके तथा चिल्ला ना सके। उसके बाद हम लोग उसे जमीन पर गिराकर चापड़ से बारी-बारी छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिये। जब हम लोग मांस के टुकड़े को बोरियों में भर रहे थे तभी हम लोगों को लगा कि कोई हम लोगों की तरफ आ रहा है तब हम लोग जल्दी-जल्दी बछड़े के मांस को बोरियों में भर कर वहां से चले गये और मांस को हम लोगों ने बाहर ले जाकर बेच दिये और जो रुपये मिले हम लोग आपस में बांट लिये। अगले दिन सुबह गांव वालों को गाय के बछड़े का कटा हुआ कुछ अवशेष बगीचे में मिला तब हम लोगों को लगा कि रात में जल्दबाजी में गाय के बछड़े का कुछ अवशेष हम लोगों से छूट गया है, हम लोग फंस जायेंगे यह सोचकर हम लोगों ने पकड़े जाने के डर से जिन चापड़ों से गाय के बछड़े को काटा था उनको पानी से साफ करके एक बोरी में, बछड़े को बांधने में प्रयोग हुई रस्सियों के साथ रखकर देईस्थान बसवाड़ में छिपा दिये थे और हम सभी लोग अपने-अपने घरों से भाग गये और लुक छिप कर रहने लगे। मेरे कुछ साथी इसी मामले में पहले ही पकड़े जा चुके हैं। आज मैं अपने अन्य बचे हुए साथियों से मिलकर आगे की कार्य योजना बनाने के लिए जा रहा था कि आप लोगों से अचानक खुद को दोनों तरफ से घिरा हुआ देख पकड़े जाने के डर से आप लोगों के ऊपर फायर कर दिया। साहब गलती हो गयी माफ कर दीजिए।

उपरोक्त में अभियुक्त के गिरफ्तारी व बरामदी के आधार पर मु0अ0स 211/2026 धारा 109(1),351(3),352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृ किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. ढ़ेला पुत्र नसीर निवासी चेला राम का पुरा थान कोपागंज जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0स0 106/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम

गिरफ्तारी का दिनांक व समय-

दिनांक 22.07.2026 समय 01:55 बजे।

बरामदगी का विवरण –

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 01 अदद खोखा कारतूस 315

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0-211/2026 धारा 109(1),351(3),352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0-106/26 धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कोपागंज मऊ।
3. मु0अ0सं0 240/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 22.07.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 29 टीम गठित कर जनपद के 35 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1350 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 488 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 02 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

दहेज हत्या में वांछित 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्येक्षण में व क्षेत्राधिकारी मधुबन के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.07.2026 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना

पर कुण्डाकुचाई गेट से मु0अ0सं0 258/2026 धारा 115(2)/85/80(2)/61(2)/351(3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नवनीत सिंह उर्फ सन्नी पुत्र राणाप्रताप सिंह निवासी कुण्डा सरीफपुर थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 258/2026 धारा 115(2)/85/80(2)/61(2)/351(3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट

वाछिंत अभियुक्त –

1. बिन्दू सिंह (सास
2. राणा सिंह (ससुर)
3. रुमा सिंह (जेठानी)
4. आनन्द सिंह (जेठ) निवासीगण कुण्डासरीफपुर थाना मधुबन जनपद मऊ
5. नवनीत सिंह के मामा का लड़का रोहित सिंह पता अज्ञात की गिरफ्तारी होनी शेष है।

नाम गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नवनीत सिंह उर्फ सन्नी पुत्र राणाप्रताप सिंह निवासी कुण्डा सरीफपुर थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब 27 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

कुण्डाकुचाई गेट से समय करीब 10.50 बजे सुबह

थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना के नेतृत्व थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थाना मुहम्मदाबाद गोहना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-237/2026, धारा 137(2), 87 बीएनएस **से** सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रूदल चौहान पुत्र बलिराम चौहान, निवासी ग्राम खुशामदपुर, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ, उम्र लगभग 21 वर्ष को पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.07.2026 को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियोग से सम्बन्धित नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :

- रूदल चौहान पुत्र बलिराम चौहान
- निवासी : ग्राम खुशामदपुर, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ
- उम्र : लगभग 21 वर्ष

बरामदगी :

- नाबालिग पीड़िता

पंजीकृत अभियोग :

- मु0अ0सं0-237/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ

गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 42141/- साइबर पुलिस टीम थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.07.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीडित, शहजाद आलम मऊ साइबर क्राइम पुलिस टीम थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।